प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ.ग. का उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका सं. 3262/2005

याचिकाकर्ता

श्रीमती कमल बाई पति श्री नोखेलाल आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम - बहरदीह, तहसील - मस्तूरी, जिला - बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, इनके, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं सामाजिक कल्याण विभाग, राज्य सचिवालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला - रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से।

2. अनु-विभागीय अधिकारी एवं निर्धारित अधिकारी, पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत, बिलासपुर, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)।

3. पीठासीन अधिकारी, पोलिंग बूथ क्रमांक 122, सहायक निर्वाचन अधिकारी, तहसीलदार, मस्तूरी, जिला - बिलासपुर के माध्यम से।

4. अमृत लाल, निर्वाचित सरपंच, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

5. कुमारी भार्गव, सरपंच पद की उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

6. गंगा राम, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

7. फोटो लाल, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. झुमुक लाल, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

9. भरत, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

10. मनोज, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

11.राज कुमार, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

12. श्रीमती राधिका, सरपंच पद की उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

13. राम कुमार, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

14. राम प्रसाद, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

15. लल्लू, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

16. शिव कुमार, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

17.संतोष, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

18.संतोष, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

19. संतोष दास, सरपंच पद के उम्मीदवार, ग्राम पंचायत, बहरदीह।

(उत्तरदायी संख्या 4 से 19 तक के सभी ग्राम बहरदीह, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के निवासी हैं।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद **227/226** के तहत उत्प्रेषण लेख , परमादेश आदि रिट जारी करने तथा उचित आदेश/निर्देश हेतु रिट याचिका :-

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय , छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्र. रिट याचिका 3262 /2005

आदेश हस्ताक्षर सहित

27.07.2005

श्री मिर्ज़ा कैसर बेग, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ।

श्री यशवंत सिंह ठाकुर, राज्य/उत्तरदाता संख्या 1 एवं 2 के लिए सरकारी अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों अधिवक्ताओं को प्रारंभिक चरण पर सुना गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस रिट याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने 9-3-2005 को विशिष्ट अधिकारी यानी उप-विभागीय अधिकारी, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश की वैधता, औचित्य और शुद्धता को चुनौती दी है। इस आदेश में विशिष्ट अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122(1) के तहत दायर चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने याचिका, दस्तावेजों और शपथ-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ उत्तरदाताओं को उपलब्ध नहीं कराईं। अतः यह छत्तीसगढ़ पंचायत (चुनाव याचिका, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता की अयोग्यता) नियम, 1995 के नियम 3(2) का अनुपालन नहीं माना गया, जिसके कारण नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार याचिका खारिज करने योग्य है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ दाखिल की थीं और वे उत्तरवादी को सौंपी गई थीं।

किंतु, प्रतिवादित आदेश का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ऐसी कोई आपत्ति उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष उठाई ही नहीं गई थी। नियम, 1995 के नियम 3(2) के प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उतनी ही प्रतियाँ संलग्न की जाएँगी जितने उत्तरदाता याचिका में वर्णित हैं और ऐसी प्रत्येक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के साथ याचिका की सत्य प्रति होने के रूप में प्रमाणित की जाएगी। उक्त नियमों के नियम 8 में यह उपबंधित किया गया है कि यदि नियम 3 या नियम 4 या नियम 7 के

प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, तो विशिष्ट अधिकारी द्वारा याचिका खारिज कर दी जाएगी, बशर्ते कि इस नियम के तहत याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना याचिका खारिज नहीं की जाएगी। विवादित आदेश के आगे के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं को भेजी गई याचिका की प्रति एवं शपथ-पत्र याचिकाकर्ता द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। अतः उप-विभागीय अधिकारी ने यह माना कि नियम 3(2) के प्रावधान अनिवार्य हैं और इनका अनुपालन न करने पर नियम, 1995 के नियम 8 के अनुसार याचिका का खारिज किया जाना उचित है।

अतः विद्वान विशिष्ट अधिकारी द्वारा पारित आदेश नियम, 1995 के नियम 3(2) एवं नियम 8 के अनुरूप किया गया है। ऐसी स्थिति में मुझे प्रतिवादित आदेश में कोई अवैधता या दोष परिलक्षित नहीं होता। परिणामस्वरूप, यह याचिका निरर्थक प्रतीत होता है, अतः यह खारिज किए जाने योग्य है और इसे यहीं प्रारंभिक चरण में ही खारिज किया जाता है। लागतों पर कोई आदेश नहीं।

फलस्वरूप, विविध रिट याचिका संख्या 2721/2005 एवं अंतर्वर्ती अपील संख्या 6281/2005 का निराकृत होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Sd/-
एल. सी. भादू
न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । **समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Translated By Yashpal Singh